न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 26/2014

बउनवान

कलावती बाई पत्नि बंशीलाल जाति गोस्वामी निवासी अम्बेडकर सर्किल के पास बारां तहसील व जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. मदनलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी बारां
2. शांतिबाई पुत्री ग्यारसीराम जाति माली निवासी बारां
3. महावीर पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी बारां
4. दौलतराम पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी बारां
5. रामदयाल पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
6. हरिकिशन पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
7. रामकिशन पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा
8. रूपनारायण पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला बारां, राज0

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय मिसल नं. 2/14 बउनवान मदनलाल वगैरह बनाम कलावती निर्णय दिनांक 28.07.2014 न्यायालय तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री संजय नागर अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 11.07.2022

अपीलांट द्वारा तहसीलदार बारां के आदेश दिनांक 28.07.2014 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा जवाब पेश करने के उपरान्त रेस्पो0 की कोई साक्ष्य नहीं ली गयी। यहां तक कि स्वंय प्रार्थीया के भी बयान नहीं लिये एवं पत्रावली में दिनांक 08.07.2014 को जवाब पेश करने के बाद सीधी निर्णय में डालकर दिनांक 28.07.2014 को निर्णय सुना दिया गया। पटवारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि नक्शा लट्ठा में वहां पर कोई [illegible] केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट है कि दौलतराम व देवलाल गुर्जर ने बताया कि [illegible] पहले रास्ता था लेकिन उनके भी बयान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। [illegible] जवाब में अंकित किया था कि मौके पर कोई रास्ता नहीं है और [illegible] रेस्पोडेंट्स रास्ता चा[illegible] तो धारा 251(क) आर.टी.ए. में सक्षम अधिकारी के यहां आवेदन पेश करें किन्तु अधी[illegible] न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी कोई गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:41 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2014 प्रकरण संख्या 2/2014 धारा 251 आर.टी.ए. बउनवान मदनलाल वगैरह बनाम कलावती बाई निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थिया/अपीलांट को सुने बिना प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नया रास्ता कायम कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2014 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय दिनांक 28.07.2014 पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधिनुरूप है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. में प्रार्थीगण मदनलाल वगैरह में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि उनके खातेदारी की कौनसी आराजी है जिसमें आने जाने का रास्ता अप्रार्थिया द्वारा बन्द कर दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में भी यह कहीं अंकित नहीं किया है कि किस खसरा नंबर में से जाने का रास्ता किस खसरा नंबर में से था, ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की साक्ष्य ली गयी है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–70 खसरा नंबर 19 के खातेदार गोबरीलाल गोपाल पि. नेनगा, कंवरलाल पुत्र श्योलाल, गणेशराम पुत्र कंवरलाल, गणेशराम नन्दलाल पि. मांगीलाल, माधो पुत्र बख्शू कौम जांगीड़ ब्राह्मण सा. बारां हैं। यदि प्रकरण में खसरा नंबर 19 में से रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाने थे तो खसरा नंबर 19 के खातेदारान को पार्टी बनाकर उनकी सुनवाई करनी चाहिये थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नंबर 19 के समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाकर उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11[illegible] को [illegible] जाकर, सुनाया गया।

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां